| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>**गोविन्दकरण बनाम**<br>**लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी)**<br>सू.अ.अपील संख्या 48 / 2023 | न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 08—04—24 | अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र धनकरण राठौड़ निवासी 79, हनवन्त बी, सेक्टर बी, बी.जे.एस. कॉलोनी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16 / 10 / 23 में प्रेषित पत्र क्रमांक 109 दिनांक 28.08.2023 व क्रमांक 110 दिनांक 14.09.2023 पर की गई कार्यवाही से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। | |


Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:22:35 IST
Reason: SelfAttested